

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2310]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2014/कार्तिक 21, 1936

No. 2310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2014/KARTIKA 21, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2885(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा—

- (i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1615(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 2006 में, स्तंभ (4) की अनुसूची में “सौंपे गए सभी मामले” से शुरु होने वाले तथा “मुख्य आयकर आयुक्त- II, बंगलुरु (कोलार के राजस्व जिलों से भिन्न)” शब्दों एवं कोष्ठकों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः—

“आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर-1 (रामनगर, कोलार, मैसूर, चामराज नगर, मांडया, हासन, चिकमंगलूर, कोडागु के जिलों से भिन्न) तथा मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर-2 (चिक्काबल्लापुर, तुमकुर, देवनागरे, शिमोगा, हावेरी, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, यादगिर, बेल्लारी तथा कोप्पल के जिलों से भिन्न); प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-1; आयकर आयुक्त (टीडीएस), बंगलौर (कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर, मैसूर, मांडया, हासन, तुमकुर, चिकमंगलूर, चामराजनगर तथा कोडागु जिलों से भिन्न); प्रधान

आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), बंगलौर; तथा आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं;

- (ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2022 (अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2007 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले शब्दों" के साथ शुरु होने वाले तथा "चैन्नई- I और II" शब्दों और आंकड़ों से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

"आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त, चैन्नई-1, 2, 3 तथा मुख्य आयकर आयुक्त, चैन्नई-4 (तमिलनाडु राज्य में कड्डालोर तथा विल्लुपुरम जिले एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न); आयकर आयुक्त (टीडीएस), चैन्नई (तमिलनाडु राज्य में कड्डालोर तथा विल्लुपुरम जिले एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों)/आयकर आयुक्त/ (आयुक्तों) (मध्य)-1 तथा 2, चैन्नई; तथा आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), चैन्नई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं";

- (iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 739 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2008 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले" से शुरु होने वाले तथा कोष्ठक में " और आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः-

"आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों), मुम्बई-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), मुम्बई; मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों)-मध्य-1 तथा मध्य-2, मुम्बई तथा आयकर आयुक्त (आयुक्तों) (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1 से 4 तक, मुम्बई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं";

- (iv) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1217 (अ) दिनांक 26 मई, 2008 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले" से शुरु होने वाले तथा "आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली" से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

"आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों), दिल्ली-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), दिल्ली; मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य), दिल्ली तथा आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1 से 3 तक, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं";

- (v) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3249 (अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले" से शुरु होने वाले तथा "आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान), कोलकाता" शब्दों से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

" मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-1 (बर्दवान जिले के आसनसोल उप संभाग, पुरुलिया जिले तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-2 पूर्वा (ईस्ट) मेदिनीपुर जिले से भिन्न; मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 (हुगली जिले से भिन्न); मुख्य

आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 (नाडिया तथा मुर्शिदाबाद जिलों से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-6 (सिक्किम राज्य से भिन्न तथा दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर (नोर्थ) दिनाजपुर, दक्षिण (साउथ) दिनाजपुर, जलपाईगुडी, कूच बिहार तथा अलीपुर दार जिलों से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-7 (पश्चिम (वेस्ट) मिदिनापुर, बर्दवान (आसनसोल उप संभाग को छोड़कर) बाकुडा तथा बीरभूम जिलों से भिन्न); आयकर आयुक्त, कोलकाता (टीडीएस), कोलकाता (पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली, नाडिया, मुर्शिदाबाद, पूर्वा (ईस्ट) मेदिनीपुर तथा पश्चिम (वेस्ट) तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न); प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य)-1, कोलकाता तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य)-2, कोलकाता-2; तथा आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता (अंतरण मूल्य निर्धारण मामलों से भिन्न)"

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या 62/2014/फा. सं. 187/19/2014 (आ.क.नि.-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक